हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम राजरानी

29 अगस्त, 2005

[आर. सी. लाहोटी, मुख्य न्यायाधिपति, जी. पी. माथुर और पी. के. बालासुब्रमण्यन, न्यायाधिपतिगण]

टॉर्ट्स - चिकित्सीय लापरवाही - राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्जन द्वारा नसबंदी ऑपरेशन का किया जाना - प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत पर अवांछित शिशु के जन्म को लेकर राज्य सरकार से मुआवजे के लिए याचिका- -अभिनिर्धारित किया गया - लापरवाही के प्रमाण के अभाव में, शल्य चिकित्सक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है - गर्भावस्था शल्य चिकित्सक की किसी भी लापरवाही के कारणों से हो सकती है - नतीजतन, राज्य को पीड़ित को मुआवजे का भुगतान करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है - हालाँकि, राज्य द्वारा पहले से ही महिला डिक्री धारक को मुआवजे की राशि का किया गया भुगतान वापिस नहीं लौटाया जा सकता है।

प्रतिवादी, एक महिला, का हरियाणा राज्य में नियुक्त एक सर्जन द्वारा नसबंदी का ऑपरेशन किया गया था। हालांकि, महिला गर्भवती हो गई और एक शिशु को जन्म दिया। उसके द्वारा उसने प्रसव के बाद डॉक्टर के खिलाफ हरियाणा राज्य से प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्वांत पर मुआवजे का दावा प्रस्तुत किया। एक ही मुददे पर आधारित मुकदमा और

अन्य उससे जुडे मुकदमो मे डिक्री पारित की गई है। इस प्रकार वर्तमान अपीले प्रस्तुत की गई है।

अपीलों को स्वीकार करते हुये, न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया -

1.1 - इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशो पीठ ने पंजाब राज्य बनाम शिवराम ओर अन्य के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि नसबंदी ऑपरेशन के बावजूद बच्चे का जन्म ऑपरेशन के क्रियान्वन में डॉक्टर की लापरवाही के कारण हो सकता है, या कुछ प्राकृतिक कारणों से हो सकता है, जैसे कि जैसे कि स्पॉनटेनियस रिकैनेलाईजेशन । डॉक्टर को केवल उन मामलों में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जहां ऑपरेशन की विफलता उसकी लापरवाही के कारण होती है और अन्यथा नहीं । चिकित्सा लापरवाही पर कई पाठ्यपुस्तकों ने माना है कि प्राकृतिक कारणों से नसबंदी ऑपरेशन की विफलता का प्रतिशत चिकित्सा मे कई प्रचलित और स्वीकार्य तकनीको मे से सर्जरी करने के लिये चुनी गई तकनीको या विधि के आधार पर 0.3% से 7% के बीच भिन्न होता है। फैलोपियन ट्यूब जो काटी और जोडी गई है, पुन: जुड सकती है और महिला पुन: गर्भवती हो सकती है। हालांकि एक कुशल डॉक्टर द्वारा चिकित्सा विज्ञान द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीक को अपनाकर सफलतापूर्वक शल्य चिकित्सा की गई थी। इस प्रकार, गर्भावस्था सर्जन की किसी भी लापरवाही के कारण हो सकती है। लापरवाही के प्रमाण की

अनुपस्थिति में सर्जन को क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदाई नहीं ठहराया जा सकता है। राज्य को प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी ठहराए जाने का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता है। इसलिये डिक्रीयो को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। [1029-बी, सी, डी]

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 अगस्त, 2005 को निर्णित किये गये पंजाब राज्य बनाम शिवराम और अन्य पर विश्वास व्यक्त किया।

1.2. हालांकि राशि, यदि कोई हो, अपीलार्थी राज्य द्वारा वादी-डिक्री धारको को भुगतान की गई, प्रतिपूर्ति के माध्यम से वापस किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। [1029-जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 2743/2002

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा आर. एस. ए. सं. 4322 /2000 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकके 8.10.2001 से ।

मय

सिविल अपील संख्या 6417/2002, 5312, 6272/2003, सिविल अपील संख्या 5316 और 1359 /2005

अजय सिवाच, टी. वी. जॉर्ज और प्रदीप दहिया, सुश्री ज्योतिका कालरा, भास्कर, वाई. कुलकर्णी और श्रीमती के. शारदा देवी, पक्षकारान की ओर से उपस्थिति ।

न्यायालय का निर्णय आर. सी. लाहोटी, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा जारी किया गया था।

एस. एल. पी. (सिविल) सं. 3106/2004 में अनुमति दी गई है।

इन सभी अपीलों में, व्यक्तिगत प्रकरणो के तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। यह बताना पर्याप्त होगा कि इन सभी मामलो में, वादी, एक महिला, ने हरियाणा राज्य के एक सर्जन द्वारा किया गया नसबंदी ऑपरेशन कराया था। सर्जरी के बाद महिला गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। सर्जरी करने वाले डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था, जिसमे सर्जरी की विफलता के लिये 'अवांछित गर्भावस्था' और 'अवांछित बच्चे' के कारण के आधार पर मुआवजे का दावा किया गया था। प्रतिनिधिक दायित्व के आधार पर हरियाणा राज्य के विरूद्व डिक्री प्राप्त करने के लिये पक्षकार बनाया गया था। दावे डिक्री किये गये है और इस तरह की डिक्रियो को विशेष अनुमति द्वारा अपील दायर करते हुये मुददा बनाया गया है।

इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पंजाब राज्य बनाम शिवराम एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 5128/2002, 25 अगस्त, 2005 को निर्णित) में यह अभिनिर्धारित किया है कि नसबंदी ऑपरेशन के बावजूद बच्चे का जन्म ऑपरेशन के क्रियान्वन में डॉक्टर की लापरवाही के कारण हो सकता है, या कुछ प्राकृतिक

कारणों से हो सकता है, जैसे कि स्पॉनटेनियस रिकैनेलाईजेशन। डॉक्टर को केवल उन मामलों में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जहां ऑपरेशन की विफलता उसकी लापरवाही के कारण होती है और अन्यथा नहीं । चिकित्सा लापरवाही पर कई पाठ्यपुस्तकों ने माना है कि प्राकृतिक कारणों से नसबंदी ऑपरेशन की विफलता का प्रतिशत चिकित्सा मे कई प्रचलित और स्वीकार्य तकनीको मे से सर्जरी करने के लिये चुनी गई तकनीको या विधि के आधार पर 0.3% से 7% के बीच भिन्न होता है। फैलोपियन ट्यूब जो काटी और जोडी गई है, पुन: जुड सकती है और महिला पुन: गर्भवती हो सकती है। हालांकि एक कुशल डॉक्टर द्वारा चिकित्सा विज्ञान द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीक को अपनाकर सफलतापूर्वक शल्य चिकित्सा की गई थी। इस प्रकार, गर्भावस्था सर्जन की किसी भी लापरवाही के कारण हो सकती है। लापरवाही के प्रमाण की अनुपस्थिति में सर्जन को क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदाई नहीं ठहराया जा सकता है। राज्य को प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी ठहराए जाने का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता है। इसलिये डिक्रीयो को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

हालाँकि, अपीलार्थी-राज्य के विद्वान वकील ने शुरू में ही कहा कि इन सभी मामलों में वादी गरीब व्यक्ति हैं और राज्य को डिक्री धारकों को डिक्री की संतुष्टि में किए गए भुगतान से वंचित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन राज्य निश्चित रूप से अपीलार्थी - राज्य द्वारा कानूनी

रुख का सवाल उठाने में रुचि रखता है। अपीलार्थी- राज्य का कहना है कि अपील के तहत डिक्री को दरकिनार किए जाने के बावजूद, इसके तहत पहले से किए गए किसी भी भुगतान को अपीलार्थी- राज्य द्वारा अनुग्रह राशि के रूप में माना जाएगा।

पंजाब राज्य बनाम शिवराम व अन्य (उपरोक्त) में निर्धारित किये गये कानून को ध्यान में रखते हुए, ये सभी अपीलें स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्रियो को अपास्त किया जाता है। वादी प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी दावे खारिज किये जाते है। खर्चे बाबत कोई आदेश नहीं होगा। हालांकि वादी डिक्रीधारक, अपीलकर्ता -राज्य द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि, प्रतिपूर्ति के माध्यम से वापस दिये जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

अपीले स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा मे किया जा रहा है एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिये उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नही ली जायेगी। सभी आधिकारित एवं व्यवहारिक उद्देशयो के लियेउक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन मे भी उसी को उपयोग मे लिया जायेगा।